

न्यायालय-दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
तहसील बैहर, जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-359 / 2014

संस्थित दिनांक-12.05.2014

सी.एन.आर.एम.पी-3001412014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-परसवाड़ा

जिला-बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - अभियोजन

// विरुद्ध //

गुरेन्द्रसिंह पिता गुलाबसिंह इड़पाचे उम्र-28 वर्ष,

निवासी-ग्राम अरंडिया थाना परसवाड़ा,

जिला बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक-01/05/2017 को घोषित)

1- अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-498क एवं 323 का आरोप है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक-19.03.2014 को समय रात्रि 10:00 बजे, ग्राम अरंडिया में फरियादिया श्रीमती प्रेमबती इड़पाचे के मकान में फरियादिया के पति होते हुए फरियादिया के साथ मारपीट कर फरियादिया को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर फरियादिया के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया एवं फरियादिया के साथ लात-घूसों से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की।

2- प्रकरण में अभियुक्त को राजीनामा के आधार पर दिनांक-28.04.2017 के आदेश द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323 के आरोप से दोषमुक्त किया था। भारतीय दण्ड संहिता की धारा-498ए राजीनामा योग्य नहीं होने से इस धारा में अभियुक्त पर प्रकरण का विचारण पूर्वतः जारी रखा गया था।

3- अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया प्रेमबतीबाई ने थाना परसवाड़ा में आकर रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी कि उसका विवाह पांच वर्ष पूर्व अभियुक्त गुरेन्द्र इड़पाचे के साथ हुआ था। शादी के बाद उसका पति शराब पीकर छोटी-छोटी बात को लेकर मारपीट कर प्रताड़ित करता था। फरियादिया के एक पुत्री है। घटना दिनांक-19.03.14 को रात्रि 10:00 बजे भी आरोपी ने फरियादिया की लात-घूसों से मारपीट की थी एवं बाल पकड़कर खींचा था। घटना के समय फरियादिया की सास पूनाबाई एवं

सुलकनबाई ने बीच-बचाव किया था। पुलिस थाना परसवाड़ा ने फरियादिया का मेडिकल परीक्षण कराकर फरियादिया की रिपोर्ट पर से अपराध क्रमांक-57/2014 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोगपत्र प्रस्तुत किया।

4- अभियुक्त पर निर्णय के पैरा 1 में उल्लेखित धाराओं का आरोप विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये व समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।

5- प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित हैं:-

1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक-19.03.2014 को समय रात्रि 10:00 बजे, ग्राम अरंडिया में फरियादिया श्रीमती प्रेमबती इड़पाचे के मकान में फरियादिया के पति होते हुए फरियादिया के साथ मारपीट कर फरियादिया को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर फरियादिया के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया ?

विवेचना एवं निष्कर्ष :-

6- प्रेमबतीबाई (अ.सा.1) का कथन है कि वह अभियुक्त को जानती है। घटना दिनांक-19.03.2014 को फरियादिया का अभियुक्त से मौखिक विवाद हो गया था। इस कारण फरियादिया प्रेमबतीबाई ने थाना परसवाड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जो प्रदर्श पी-1 है। पुलिस मौके पर आई थी। पुलिस ने साक्षी की निशानदेही पर घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी-2 बनाया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने प्रदर्श पी-3 के पुलिस कथन का ए से ए भाग पुलिस को दिए जाने से इंकार किया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया कि उसने पुलिस को मौखिक रिपोर्ट लिखाई थी, रिपोर्ट में क्या लिखा था, पुलिस ने पढ़कर नहीं बताया था। पुलिस ने मौकानक्शा प्रदर्श पी-2 पर थाने पर कोरे कागज पर हस्ताक्षर करा लिये थे। साक्षी ने बताया कि उसका अभियुक्त से कोई विवाद नहीं है। वह अभियुक्त के साथ शांतिपूर्वक रह रही है। फरियादिया प्रेमबतीबाई की साक्ष्य से घटना का समर्थन नहीं होता है।

7- साक्षी दुजियाबाई (अ.सा.2) का कथन है कि अभियुक्त उसका दामाद है। फरियादिया उसकी पुत्री है। साक्षी को घटना के बारे में जानकारी नहीं है। फरियादिया एवं अभियुक्त के बीच क्या विवाद हुआ था, साक्षी को पता

नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने पुलिस कथन प्रदर्श पी-4 का ए से ए भाग पुलिस को देने से इंकार किया है। साक्षी ने स्वीकार किया कि अभियुक्त से उसकी पुत्री ने राजीनामा कर लिया है।

8— प्रेमबतीबाई (अ.सा.1) की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि उसका अभियुक्त से राजीनामा हो गया है। संभवतः राजीनामा होने के कारण प्रेमबतीबाई (अ.सा.1) एवं दुजियाबाई (अ.सा.2) ने उनकी साक्ष्य में घटना का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन पक्ष ने राजीनामा होने के कारण प्रकरण में अन्य किसी साक्षीगण की साक्ष्य नहीं कराई है। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रकरण में परीक्षित कराए गए साक्षीगण की साक्ष्य से अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादिया के पति होते हुए फरियादिया के साथ मारपीट कर फरियादिया को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर फरियादिया के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया था। अतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-498ए के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

9— प्रकरण में अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र तैयार कर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

10— अभियुक्त के जमानत-मुचलके भारमुक्त किये जावे।

11— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(दिलीप सिंह)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, तहसील
बैहर, जिला-बालाघाट

(दिलीप सिंह)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, तहसील
बैहर, जिला-बालाघाट